

पुष्पक,

श्री सत्येन्द्र निम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
राज्य शासक गिराव परिषद,
कै. 2, समुदाय कै. 2,
गिराव विहार, नई दिल्ली ।

गिराव 171 अनुमान

विषय:- श्री 0 श्री 0 श्री 0 रहुन मोलाना, नन्दोती की श्री 0 श्री 0 श्री 0 नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अगस्तित्त पुमाना पर दिया जाना ।

सहायक दिनांक 20 जुलाई, 2000

महोदय,

उपपुत्र विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि श्री 0 श्री 0 श्री 0 रहुन मोलाना नन्दोती की श्री 0 श्री 0 श्री 0 नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अगस्तित्त पुमाना पर दिया जाने में इस राज्य सरकार की नियमनिका प्रतिक्रिया के अन्तर्गत आपत्ति नहीं है:-

111 विद्यमान की पंजीकृत तोतापट्टी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

121 विद्यमान की पंजीकृत संपत्ति में गिराव निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

131 विद्यमान में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुमानित जाति/अनुमानित जनजाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके 30 50 मान्यता प्राप्त गिराव परिषद द्वारा संयोजित विद्यमानों में विभिन्न कक्षाओं के निम्नलिखित गुरुत्व में अधिक गुरुत्व नहीं दिया जायेगा ।

141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान मान्यता प्राप्त गिराव परिषद अथवा किसी गिराव परिषद/कार्यपालक के तथा विद्यमान की सम्बन्धित केन्द्रीय या राज्य सरकार/कार्यपालक द्वारा दिए इतिहास के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार/कार्यपालक द्वारा दिए गये श्री 0 श्री 0 श्री 0 मान्यता प्राप्त गिराव परिषद द्वारा प्रदान की गई है तो उस परीक्षा तक के अन्तर्गत गिराव परिषद की सम्बन्धित प्रदान की गई है श्री 0 श्री 0 श्री 0 मान्यता प्राप्त गिराव परिषद द्वारा प्रदान की गई है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ ही जायेगी ।

151 संस्था की ओर से गिरावोत्तर कार्यालयों की राजकीय सहायता प्राप्त गिरावोत्तर संस्थाओं के कार्यालयों की अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 16। सर्वगारियों के जी लेवा गल्ले बनाई बायेंनी और उम्मे लडायाता दुदल
उगातडीय 30 मा0 विद्यालयों के छात्राशियों के अनुमत्य लेवा नियुक्ति
का काम उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा तम्र पर धी भी आदिग निर्मा छिजे जायेगे
तैस्था उगात पास्त करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिहाई निर्धारित पुष/वर्षिकाओं में रवा जायेगा ।
- 19। उरत गालों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन या परिषद्वन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उरत दुतिलीयों का पालन करना तैस्था के तैले अनिवार्य होया और
यदि किसी तम्र यह पापा जाता है कि तैस्था द्वारा उरत दुतिलीयों का पालन
नहीं किया जा रहा है उथा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृक या
सिद्धिकता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा दुदल उगात/रित पुमाना
यन वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। तत्पेदु रिम ।
विनिर्देश तम्र ।

पुनः-236511/15-7-2000, 15 दिनांक

पुनिलिपि निम्नलिखित को सुनाय एवं आवापक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- रिाया निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डीय संकुल रिाया निदेश, मुरादाबाद ।
- 3- बिना विद्यालय निरीक्षक, कटोती, मुदादाबाद ।
- 4- उरत भारतीय विद्यालय उ030, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, डी0 पी0डी0 एम0 स्कूल, नौलागढ़, बन्तोली, मुरादाबाद ।

गया मे,

-236511-

। तत्पेदु रिम ।
विनिर्देश तम्र ।

-236511-

Peking

SECRETARY

O P G M Sr Sec School
Bahjoi Road Chandaus

महामन्त्री

के विनायक शैक्षिक समाज कल्याण समिति
चन्दीसी (सम्भल)

PRINCIPAL

O P G M Sr Sec School
Chandausi (Sambhal)

Aff No.-2430471